प्र.सं. 28/21 संदीप कुमार बनाम अमरसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

सं0 - 28/2021(21/45)

संदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र गोवन्दराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. शर्मिला पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा मलखेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. वन्दना पुत्री स्व. सुमन पुत्री सुभाषचन्द्र नाबालिग जरिए नाना सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र मील **: प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 6**

निर्णय **दिनांक :** 20/7/2[illegible]

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 14 एएमएस के खाता सं. 30/30 के मु.न. 2 किला न. 16 व 25, मु.न. 28 किला न. 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 16 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 29 किला न. 21, 22, मु.न. 35 किला नं. 1 ता 10, कुल किता 32 की 8.045 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से 1/5 हिस्सा व चक 12 एएमएस के खाता सं. 18/15 के मु.न. 7 किला नं. 6, 7, 12 ता 25, मु.न. 13 किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु.नं. 14 किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 कुल किता 50 की 12.081 है. नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी में प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा फुलाराम की [illegible] हुआ करती थी। वादी के परदादा पतराम की खातेदारी हुआ [illegible] गोविन्दराम एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है।

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया, इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 एव 6(वन्दना पुत्री स्व. सुमन पुत्री सुभाषचन्द्र नाबालिग जरिए नाना सुभाषचन्द्र) ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 बैंक एवं प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी सन्दीप कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 12 एएमएस सम्वत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 14 एएमएस सम्वत 2076–79 प्रदर्श 2, चक 12 एएमएस सम्वत 2029–38 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 14 एएमएस सम्वत 2029–38 प्रदर्श 4, वारिस शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मोजा चक 14 एएमएस के खाता सं. 30/30 के मु.न. 2 किला न. 16 व 25, मु.न. 28 किला न. 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 16 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 29 किला न. 21, 22, मु.न. 35 किला नं. 1 ता 10, कुल किता 32 की 8.045 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से 1/5 हिस्सा व चक 12 एएमएस के खाता सं. 18/15 के मु.न. 7 किला नं. 6, 7, 12 ता 25, मु.न. 13 किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु. नं. 14 किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 कुल किता 50 की 12.081 है. नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह [illegible] जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। [illegible] पत्र में सुभाषचन्द्र के वारिसान में पत्नि चन्द्रकला, दो पुत्री शर्मिला एवं सुमन [illegible] व दो पुत्र सन्दीप व सुनीलू मौजूद होना व सुमन पुत्री सुभाषचन्द्र का देहान्त हो चुका जिसकी एकमात्र वारिस वन्दना(नाबालिग) है एवं इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) [illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 14 एएमएस के खाता सं. 30/30 के मु.न. 2 किला न. 16 व 25, मु.न. 28 किला न. 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 16 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 29 किला न. 21, 22, मु.न. 35 किला नं. 1 ता 10, कुल किता 32 की 8.045 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से 1/5 हिस्सा व चक 12 एएमएस के खाता सं. 18/15 के मु.न. 7 किला नं. 6, 7, 12 ता 25, मु.न. 13 किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु.नं. 14 किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 कुल किता 50 की 12.081 है. नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी में प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी संदीप कुमार व प्रतिवादी सं0 2 सुनील कुमार प्रत्येक को 3/25 बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 6 प्रत्येक को 1/25 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 प्रत्येक के नाम 3/25 बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 6 प्रत्येक को 1/25 बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़